संख्या:8/2022/15/35-4-2022

प्रेषक,

ऋषिकेश दुबे,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
आगरा।

नियोजन अनुभाग-4 लखनऊ दिनांक: 04 जनवरी, 2022

विषय: वित्तीय वर्ष 2021-22 में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अंतर्गत धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत जनपद-आगरा की वि0स0 क्षेत्र-आगरा ग्रामीण में शासनादेश सं0-440/2021/2317/35-4-2021 दिनांक 12 दिसम्बर, 2021 द्वारा स्वीकृत 09 कार्यों में से निम्नलिखित 03 कार्यों की स्वीकृति निरस्त किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। विवरण निम्नवत है:-

(लाख रू. में)

	कार्य	**लम्बाई (मी0)**	**अनुमोदित लागत**	**अवमुक्त धनराशि**
1	ग्राम सुचेता में निहालसिंह के घर से शमशान घाट (ट्रान्सफार्मर) तक सी0सी0 कार्य।	150	15.14	15.00
2	नगला पातीराम में नरसी विलेज के कोर्नर से दयाल मैरिज होम तक सी0सी0 कार्य।	300	30.49	15.00
3	ग्राम विसैरी भॉड़ में तालाब से पंचायत घर तक सी0सी0 कार्य।	400	28.43	15.00
	योग:	**850**	**74.06**	**45.00**

2- उक्त सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 12 दिसम्बर, 2021 द्वारा निरस्त उपर्युक्त 03 कार्यों हेतु प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि रूपए 45.00 लाख को नियमानुसार राजकोष के सुसंगत लेखाशीर्ष में जमा कर ट्रेजरी बाउचर सहित सूचना शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।

3- शासनादेश सं0-440/2021/2317/35-4-2021 दिनांक 12.12.2021 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- यह आदेश वित्त विभाग के अशा0पत्र सं0-ई-5-323/दस-2021 दिनांक 03 जनवरी, 2022 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे हैं।

भवदीय,

(ऋषिकेश दुबे)
विशेष सचिव।

संख्या:8/2022/15(1)/35-4-2022 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज(इलाहाबाद)।
2- महालेखाकार, लेखापरीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, प्रयागराज (इलाहाबाद)।
3- अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उ0प्र0शासन।
4- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग।
5- अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन।
6- निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी।
7- मण्डलायुक्त, आगरा।
8- निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, लखनऊ।
9- मुख्य विकास अधिकारी, आगरा।
10- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, आगरा।
11- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग- 5
12- जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, आगरा।
13- अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, आगरा।
14- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(ऋषिकेश दुबे)
विशेष सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।